इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016—भाद्र 11, शक 1938

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. एफ-2-2-2015-छब्बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय चतुर्थ-श्रेणी सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त कल्याण संचालनालय (चतुर्थ श्रेणी) सेवा (भर्ती एवं सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2015 है.

(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे;

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, "आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश;

(ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश;

(ङ) "नि:शक्तजन" से अभिप्रेत है, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित नि:शक्त व्यक्ति;

(च) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ञ) "व्यावसायिक परीक्षा मण्डल" से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिये परीक्षा संचालित करने वाला व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश;

(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ड) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ढ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समूह अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ण) "सेवा" से अभिप्रेत है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय (चतुर्थ-श्रेणी) सेवा;

(त) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य;

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे;

परन्तु राज्य सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार द्वारा या चयन द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कालम (दो) में दर्शाए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, मूल हैसियत में धारण करते हों.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से शासन द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किये गये सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**— (क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख की आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—

(एक) कोई अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) कोई अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक नहीं हो;

स्पष्टीकरण.—पद "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(चार) कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा है और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अतिशेष घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो और —

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर;

उसे सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुख किये गये ऐसे कर्मचारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं;

(5) ऐसी कर्मचारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया है;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया है;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(घ) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के उच्च जाति के सवर्ण पति-पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) उन अभ्यर्थियो के संबंध में जो, मध्यप्रदेश राज्य/निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, की उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि की उच्चतर आयु अधिकतम 5 वर्ष तक के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु ऐसे मामलों में ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/नान कमीशन्ड अधिकारी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ञ) निःशक्तजनों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी.

टिप्पण.—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाए जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे,

टिप्पण.—(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम आयु सीमा की गणना परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3 दिनांक 03-11-2012 एवं 20-11-2012 के अनुसार की जाएगी.

टिप्पण.—(3) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी. विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है, परन्तु आपवादिक मामलों में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, राज्य की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो राज्य सरकार की राय में अभ्यर्थी को चयन के लिये विचार करने में न्यायोचित ठहराती हो.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में निरर्हता के रूप में माना जाएगा.

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा या पद में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां अभ्यिर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामले लंबित हैं, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा.

10. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती.**—(1) (एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से परामर्श कर समय-समय पर अवधारित करे;

(दो) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से परामर्श कर जारी करे.

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये 14 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाएंगे. दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अस्थि बाधित प्रत्येक के लिये दो प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे. इस प्रकार निःशुक्तजनों के लिये कुल 6 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम से उनके नाम नियम 11 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, भले ही अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों का जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा नियुक्ति के लिये योग्य घोषित किया गया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उपनियम (2) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर, नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां राज्य की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएगी. अन्य अभ्यर्थियों से भरने के लिए उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाएगा.

(6) पद ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे जो निःशक्तजन हों या ऐसे अन्य प्रवर्गों के हों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए. उक्त आरक्षण की व्यवस्था समस्तर रूप में श्रेणी (होरिजेंटल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) अनुसार होगा.

स्पष्टीकरण.—उप नियम (6) के प्रयोजन के लिये "समस्तर रूप तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण" से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनारक्षित प्रवर्ग में आरक्षण.

(7) (एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अन्तराल से किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से परामर्श कर समय-समय पर अवधारित करे.

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थी का चयन व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा.

11. **लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सीधी भर्ती, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों के द्वारा ऐसे अन्तरालों में ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से अवधारित करे.

(2) प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्य जांच के पश्चात् प्रत्येक प्रवर्ग के पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची पद के लिये विहित अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में बनाई जाएगी.

(3) लिखित परीक्षा में उपसंजात होने के लिये अनुज्ञात या साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों के दस गुने से अधिक नहीं होगी. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों पर विचार उसी क्रम में होगा, जिस क्रम में उनके नाम उपरोक्त उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार बनाई गई सूची में आए हों.

(4) यदि चयन समिति, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, दोनों के द्वारा भर्ती करना विनिश्चित करती है तो परीक्षा में उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात अभ्यर्थियों की संख्या वही होगी जो उपनियम (3) में हैं, किन्तु चयन समिति प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों की संख्या के तीन गुने से अनधिक ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी, जो चयन समिति द्वारा अधिकथित स्तर मान के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्ह हों.

(5) जब सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार द्वारा की जाना है, तो साक्षात्कार के लिये आवंटित अंक, अधिकतम अंकों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे,

(6) साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उपयुक्ता का निर्धारण उसके व्यक्तित्व सामान्य प्रावीण्य, वृत्तिक ज्ञान, स्थानीय बोली में वार्तालाप कौशल, स्थानीय पर्यावरण का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य रूचि आदि को ध्यान में रखते हुए मौखिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा.

(7) लिखित परीक्षा, चयन समिति के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय द्वारा समय-समय पर नियत तारीखों पर ली जाएगी.

12. **सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय सेवा में नियुक्ति हेतु निरर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा.—

(1) जब तक वह भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान की प्रजा और मध्यप्रदेश का मूल निवासी न हो;

(2) यदि वह केन्द्रीय, राज्य, जिला या जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी सहकारी सोसाइटी या केन्द्रीय या राज्य के नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया हो;

(3) यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो;

(4) यदि वह महिलाओं के विरूद्ध प्रताड़ना के किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो:

परन्तु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरूद्ध ऐसा कोई मामला लंबित है, वहां उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक प्रकरण में अन्तिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जाएगा;

(5) यदि उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हैं और महिला अभ्यर्थी के मामले में यदि उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो;

(6) यदि उसके पास पद के लिये न्यूनतम विहित अर्हता न हो, या

(7) यदि वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम का या शासन द्वारा सहायता प्राप्त किसी निकाय का कर्मचारी है तो जब तक कि वह अपने नियोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता तथा अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं करता,

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति का गठन करने के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा.

(2) समिति, ऐसे अंतराल पर, जैसा कि वह उचित समझे, अपनी बैठक करेगी परन्तु सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक नहीं होगा.

(3) पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमाएं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 के उपबंधों तथा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता.**—नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उस पद पर जिससे कि पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) या सरकार द्वारा अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो नियम 13 के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, चयन श्रेणी (सिलेक्शन ग्रेड)/पदोन्नति के लिये विचार करने हेतु केवल इस आधार पर कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है, किन्हीं वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा.

15. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची से सेवा के संवर्ग पदों पर सेवा में नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित रोस्टर के अनुसार की जाएगी तथा चयन सूची में अन्य कर्मचारियों की तुलना में उनके संबंधित रैंक पर विचार किये बिना वह सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय द्वारा बनाये रखी जाएगी :

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है.

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व उक्त समिति से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त ठहराती हो,

16. **प्रतीक्षा सूची.**—रिक्तियों की पूर्ति हेतु समिति द्वारा तैयार सूची के अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची होगी जिसमें रिक्तियों के 25 प्रतिशत चयनित व्यक्तियों के नाम होंगे यह प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक विधिमान्य होगी.

17. **चयन सूची का अनुमोदन.**—(1) नियुक्ति प्राधिकारी उक्त समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, उस सूची को अनुमोदित करेगा,

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, कारणों को लेखबद्ध करते हुए सूची को अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में वर्णित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

18. **परिवीक्षा और नियमितीकरण.**—(1) सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

(2) किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी ऐसे पद पर तब तक नियमित नहीं किया जाए तब तक कि उसने परिवीक्षा की कालावधि संतोषजनक रूप से पूर्ण न कर ली हो अथवा विभागीय परीक्षा यदि कोई ही उत्तीर्ण न कर ली हो अथवा ऐसा पद धारण करने लिए या सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय द्वारा अधिकथित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, कर लिया हो.

19. **पदक्रम सूची.**—सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय के कर्मचारियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये अनुसूची-एक में उल्लिखित पदों के अनुसार पदक्रम सूची तैयार की जाएगी. ऐसी सूची में प्रवर्ग अनुसार ज्येष्ठता के क्रम में कर्मचारियों के नाम दर्शित किए जाएंगे.

20. **निर्वचन**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अन्तिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा इन निमयों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित इन नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु-क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान+ग्रेड वेतन (5)	नियुक्ति प्राधिकारी (6)
संचालनालय के मुख्यालय पर :					
1	सुपरवाईजर	3	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200+1900	आयुक्त/संचालक सामाजिक न्याय संचालनालय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	दफ्तरी	3	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1400	आयुक्त/संचालक सामाजिक न्याय संचालनालय.
3	जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1400	तदैव
4	भृत्य	28	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
5	वाहन स्वच्छक	2	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
6	समूह परिचारक/बैटरी अटेण्डेन्ट	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
7	फर्राश	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
8	केन वर्कर	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
9	स्वीपर	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
जिला मुख्यालय पर :					
1	वाहन स्वच्छक	17	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	कलेक्टर
2	समूह परिचारक	6	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
3	कर्मशाला सहायक	9	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
4	आया	10	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
5	स्वीपर	8	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
6	रसोईया	8	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
7	चौकीदार	1	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
8	भृत्य	254	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
9	कस्टोडियन	08	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
10	अकुशल कर्मचारी	3	चतुर्थ श्रेणी	4440—7440+1300	तदैव
	योग . .	365			

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			अभ्युक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम-6(1) (क) देखिए]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1) (ख) देखिए]	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा [नियम-6(1) (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्यालय स्तर						
1	सुपरवाईजर	3	–	100 प्रतिशत	–	
2	दफ्तरी	3	–	100 प्रतिशत	–	
3	जमादार	1	–	100 प्रतिशत	–	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	भृत्य	28	100 प्रतिशत	–	–	
5	वाहन स्वच्छक	2	100 प्रतिशत	–	–	
6	समूह परिचारक/बैटरी अटेण्डेन्ट	1	100 प्रतिशत	–	–	
7	फर्राश	1	100 प्रतिशत	–	–	
8	केन वर्कर	1	100 प्रतिशत	–	–	
9	स्वीपर	1	100 प्रतिशत	–	–	
	योग . .	**41**				
जिला स्तर						
1	वाहन स्वच्छक	17	100 प्रतिशत	–		
2	समूह परिचारक	6	100 प्रतिशत	–		
3	कर्मशाला सहायक	9	100 प्रतिशत	–		
4	आया	10	100 प्रतिशत	–		
5	स्वीपर	8	100 प्रतिशत	–		
6	रसोईया	8	100 प्रतिशत	–		
7	चौकीदार	1	100 प्रतिशत	–		
8	भृत्य	254	100 प्रतिशत	–		
9	कस्टोडियन	8	100 प्रतिशत	–		
10	अकुशल कर्मचारी	3	100 प्रतिशत	–		
	योग . .	**324**				
	महायोग . .	**365**				

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

अनु-क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	टिप्पणियां (6)
		मुख्यालय स्तर			
1	भृत्य	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
2	वाहन स्वच्छक	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	समूह परिचारक/ बैटरी अटेण्टेन्ड	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
4	फर्राश	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
5	केन वर्कर	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान 3. कुर्सी बुनाई का अनुभव	पदपूर्ति दृष्टि बाधित से की जाएगी.
6	स्वीपर	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
			जिला स्तर		
1	वाहन स्वच्छक	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
2	समूह परिचारक	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
3	कर्मशाला सहायक	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
4	आया	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
5	स्वीपर	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
6	रसोईया	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
7	चौकीदार	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
8	भृत्य	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
9	कस्टोडियन	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	
10	अकुशल कर्मचारी	18	40	अनिवार्य:— 1. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण 2. हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान	

अनुसूची—चार

(नियम 13 देखिए)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

अनुक्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दर्शाए पद पर पदोन्नति के लिए कालम (2) में दर्शाए पद पर सेवा के वर्षों की संख्या अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	चयन का तरीका	अभ्युक्त्यिां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दफ्तरी	सुपरवाईजर	5 वर्ष	1. अपर संचालक- अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक- सदस्य (प्रशासन). 3. संयुक्त संचालक- सदस्य (वित्त). 4. अनुसूचित जाति/ - सदस्य अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई एक नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो उप संचालक स्तर के समतुल्य हो.	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ संयुक्त संचालक समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.	योग्यता-सह वरिष्ठता.
2	भृत्य/फर्राश/ स्वीपर.	दफ्तरी	5 वर्ष	1. अपर संचालक- अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक- सदस्य (प्रशासन). 3. संयुक्त संचालक- सदस्य (वित्त). 4. अनुसूचित जाति/- सदस्य अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई एक नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो उप संचालक स्तर के समतुल्य हो.	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ संयुक्त संचालक समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.	योग्यता-सह वरिष्ठता.
3	भृत्य/फर्राश/ स्वीपर.	जमादार	5 वर्ष	1. अपर संचालक- अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक- सदस्य (प्रशासन). 3. संयुक्त संचालक- सदस्य (वित्त). 4. अनुसूचित जाति/- सदस्य अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का कोई एक नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो उप संचालक स्तर के समतुल्य हो.	अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ संयुक्त संचालक समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.	योग्यता-सह वरिष्ठता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

Bhopal the 2nd September 2016

No. F 2-2-2015-XXVI-1.—In exercise of the powers conferred by the poroviso to article 309 of the constitution of India, the Government of Madhya Pradesh hereby make the rules relating to the recruitment of the Madhya Pradesh social justice and disabled persons welfare class IV services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Social Justice and Disabled Persons Welfare Sanchalnalaya (Class IV) Service (Recruitment and General condition of service) Rules,2015.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2.**Definitions.**—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing authority in respect of the service" means the Commissioner/Director Social Justice and disabled persons welfare;

(b) "Commissioner" means the Commissioner, Social Justice and Disabled persons welfare Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(c) "Committee" means Department Promotion Committee;

(d) "Director" means the Director, Social Justice and Disabled Persons welfare Sanchalnalaya, Madhya Pradesh;

(e) "Disabled Person" means disabled person as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (No. 1 of 199d);

(f) "Examination" means competitive examination to be conducted for the recrutiment to the service;

(g) "Governor" means Governor of Madhya Pradesh;

(h) "Governement" means Government of Madhya Pradesh;

(i) "Other Backward Classes" means the Other Backward classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/ XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

(j) "Professional Examination Board" means the Professional Examination Borad, Madhya Pradesh to conduct examination or recruitment to the service;

(k) "State Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(l) "Suchedule" means Schedules appended to these rules;

(m) "Scheduled Caste" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(n) "Scheduled Tribe"means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(o) "Service" means Social Justice and Disabled Persons Welfare Sanchalnalaya (Class-IV) service;

(p) "State" means the Government of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application :** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of Service.— The Service shall consist of the following persons namely :—

(1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding the posts substantively or in an officiating capacity as specified in Schedule-I;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the State Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namel :—

(a) by direct recruitment by competitive examination and interview or by selection

(b) by promotion as shown in column (2) Schedule-IV;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Professional Examination Board.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf,prescribe.

7. **Appointment to Service.**—All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment..**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) **Age.**—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below.—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant, should not be more than 45 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be alllowed to dedtuct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.— The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.—

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Ex personnel of madras Civil Unit;

(4) Employees (Military and Civil) Discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers);

(5) Employees discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(6) Ex-Serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.

(d) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow or destitute and divored woman candidates.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto two years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Praedsh State/Corporations/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them to the limit of 5 years but in no case the age of concerned Home Guard and Non-Commissioned Officer should exceed 45 years.

(j) The upper age limit shall be relaxed upto maximum 10 years in respect of disabled persons.

Note .—(1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note.—(2) Including all relaxed period for every category the maximum age shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11/12/1/3 dated the 03-11-2012 and 20-11-2012.

Note.—(3) In no other case will these age limits be relexed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qulifications.**—The Candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that in exceptional cases the Professional Examination Board may on the recommendation of the State Government treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed but has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the State Government Justifies the consideration of the candidate for selection.

(3) **Fees.**— The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**—(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January,2001 :

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next dilivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that there such cases in pending in a court agaist the candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the criminal court.

10. **Direct Recruitment by Competitive Examination.**— (1) (i) The competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the State Government, in consultation with the Professional Examination Board from time to time, determine.

(ii) The examination shall be conducted by the Professional examination Board in accordance with the orders issued by the State Government in consultation with the Professional Examination Board from time to time.

(2) There shall be 16% and 20% reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No. 21 of 1994). Two percent post each for blindness or low vision, hearing impairment and loco motor shall be reserved. Accordingly total 6% post shall be reserved for disabled person.

(3) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are member of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 11 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Professional Examination Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved under sub rule (2) for the candidate of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(5) If the required number of candidates of Scheduled Castes and Scheduled tribes are not available to fill all the vacancies reserved for them then the remaining vacancies shall not be filled from other candidate without prior permission of the State Government. They shall not be declared unreserved to fill the vacancies from other candidates.

(6) Posts shall be reserved for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government from time to time. Said reservation shall be horizontal and compartment wise.

Explanation.—For the purpose of sub-rule (6) "horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and unreserved.

(7) (i) The selection for recruitment in the service shall be made at such interval as the Sate Government may determine in consultation with the Professional Examination Board

(ii) The selection of candidates for service shall be made by the Professional Examination Board after interview

11. **Direct recruitment by written test or by Interview or by both.**—(1) Direct recruitment shall be made by holding written test or by interview or by both at such intervals, as the appointing authority may from time to time determine in consultation with General Administration Department.

(2) After scrutiny of the applications received, a list of eligible candidates for each category shall be prepared in descending order of the marks obtained in the qulifying examination perscribed for the post.

(3) The number of candidates allowed to appear in written test or called for interview,shall not exceed ten times of the vacancies in each category. The candidates shall be considered for written test or interview in the order in which their names appear in the list prepared in accordance with the provisions of above sub-rule (2).

(4) If the Selection Committee decides to make recruitment through writen examination and interview both the number of candidates allowed to appear in the test shall be the same as in sub-rule (3) but the selection committee shall interview such candidates, not exceeding three times of the number of vacancies in each category as may qualify in the written examination according to the standard laid down by the Selection Committee.

(5) When direct recruitment is made, by holding written test alongwith interview, the marks allotted for interview shall not exceed ten percent of the maximum marks.

(6) In interview, the suitability of the candidate shall by assessed by oral test having regard to their personality, gereral proficiency professional knowledge, communication skills in local dialect, knowledge of local environment, general knowledge, general aptitude etc.

(7) The written test shall be held by the Commissioner/ Director Social Justice and Disabled Welfare Sanchalnalaya from time to time on fixed date under the direction and supervision of the selection committee.

12. **Disqualifications for appointment to Social Justice and Disabled Persons Welfare Sanchalnalaya Service.**— No. person shall be appointed by direct recruitment to any post.—

(1) Unless he is a citizen of India or a subject of Nepal or Bhutan and permanent original resident of Madhya Pradesh

(2) If he has been dismissed for misconduct from service of Central Government, State Government, Zila or Janpada Panchayat or Gram Panchayat or any other local authority or a Co-operative Society or an Public Sector Undertaking under the control of Central Government or State Government.

(3) If he has been convicted of an offence which involves moral turpitude;

(4) If he has been convicted of an offence against women torture:Provided that where such case is pending in a court against candidate, his appointment shall be kept pending till the final decision of the Court;

(5) If he has more than one wife living, and in case of a female candidate, if she has married to a person having a wife living already;

(6) If he does not possess minimum prescribed qualification for the post; or

(7) If he is an employee of the Central Government or of the State Government or of any local authority or of Central Government, or State Government undertaking or of any Government aided body, unless he obtains no objection certificate of his employer and submits it alongwith his application.

13. **Appointment by Promotion.**—(1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, for the purpose of constitution of the committee under this sub-rule, the provision of Section 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Janjatiyan Aur Anya Pichhda Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit but ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in Promotion and limits on the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration)Rules, 1997 and instructions issued by the Government in General Administration Department from time to time.

14. **Eligibility for Promotion.**—(1) The Committee referred to in sub-rule (1) of rule 13, shall consider the cases of all persons, who on the day of 1st January of that year, had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of rule 13 :

Provided that no junior person shall be considered for selection for selection-grade/promotion in preference to the persons senior to him, only on the basis of completing the prescribed period of service.

15. **Appointment to the service from the select list.**— (1) Appointment to the service from the select list to posts on the cadre of the service shall be made in accordance with the roster prescribed by the State Government under the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhada Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and maintained by the Social Justice and Disabled persons Welfare Sanchalnalaya irrespective of their relative rank as compared with other employee in the select list:

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list may be appointed to the service if the appointing authority is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the said committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the Social Justice and Disabled Persons Welfare Sanchalnalaya Service.

16. **Waiting List.**—There shall be a waiting list, in addition to a selection list of persons prepared by the committee for fulfilling the vacancy containing the names of 25% of the selected persons of the vacancy. This waiting list shall be valid for one year.

17. **Approval of Select List.**— (1) The Appointing Authority shall consider the prepared by the said Committee, and unless it consider any change necessary, approved the list.

(2) It the appointing authority considers it necessary to make any change in the list shall approve the list finally with such modifications, if any, narrating reasons thereof in writing.

(3) The list as finally approved by the appointing authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in Column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in Column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be inforce untill it is reviewed or revised, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Probation and Regularization.**— (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2) The person appointed on any post of the service shall not be regularised until the probation is not completed satisfactorily by him or he has not passed the departmental examination, if any, or he has not undergone training for the post, if any, as laid down by the Government or Social Justice and Disabled Persons Welfare Sanchalnalaya for holding such post.

19. **Gradation list.**—A gradation list of employees of every category of the Social Justice and Disabled Persons Welfare Sanchalnalaya shall be prepared according to the post specified in Schedule-1. In such list names of employees shall be shown accoriding to category-wise seniority in the service.

20. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable. Provided that the case shall not be dealt with in any manner less fevourable to him than that provided in these rules.

22. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes in the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal.**— All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencment of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. K. THAKUR, Dy. Secy.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

Classification of Service, Scale of Pay and Posts included in the Service

S. No. (1)	Name of Posts included in the service (2)	Number. of Posts (3)	Classification (4)	Pay Scale+ Grade Pay (5)	Appointing Authority (6)
		At the Headquarter of Sanchalnalaya			
1.	Supervisor	3	Class-IV	5200—20200+1900	Commissioner/ Director Social Justice Sanchalnalaya.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Daftary	3	Class-IV	4440—7440+1400	Commissioner/ Director Social Justice Sanchalnalaya
3	Jamadar	1	Class-IV	4440—7440+1400	-do-
4	Peon	28	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
5	Vehicle Cleaner	2	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
6	Group Paricharak/Battery Attendant.	1	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
7	Farrash	1	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
8	Cane Worker	1	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
9	Sweeper	1	Class-IV	4440—7440+1300	-do-

At the District Headquarters

1	Vehicle Cleaner	17	Class-IV	4440—7440+1300	Collector
2	Group Paricharak	6	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
3	Workshop Assistant	9	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
4	Aaya	10	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
5	Sweeper	8	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
6	Rasoiya	8	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
7	Watchman	1	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
8	Peon	254	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
9	Custodian	8	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
10	Unskilled Employee	3	Class-IV	4440—7440+1300	-do-
	Total	365			

SCHEDULE-II
(See rule 6)
Method of Recruitment

S. No.	Name of the Post Included in the Service	Number of Total Posts	Percentage of the Number of Posts to be filled in			Remarks
			By Direct recruitment (See rule 6(1)(a)	By promotion of the members of Service (See rule 6(1) (b)	By temporary transfer of persons of other services (See rule 6(1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

At the Headquarter of Sanchalnalaya

1	Superviosr	3	-	100 percent	-	-
2	Daftary	3	-	100 percent	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Jamadar	1	-	100 percent	-	-
4	Peon	28	100 percent	-	-	-
5	Vehicle Cleaner	2	100 percent	-	-	-
6	Group Paricharak/Battery Attendant	1	100 percent	-	-	-
7	Farrash	1	100 percent	-	-	-
8	Cane Worker	1	100 percent	-	-	-
9	Sweeper	1	100 percent	-	-	-
	Total	41				
	At the District Headquarters					
1	Vehicle Cleaner	17	100 percent	-	-	-
2	Group Paricharak	6	100 percent	-	-	-
3	Workshop Assistant	9	100 percent	-	-	-
4	Aaya	10	100 percent	-	-	-
5	Sweeper	8	100 percent	-	-	-
6	Rasoiya	8	100 percent	-	-	-
7	Watchman	1	100 percent	-	-	-
8	Peon	254	100 percent	-	-	-
9	Custodian	8	100 percent	-	-	-
10	Unskilled Employee	3	100 percent	-	-	-
	Total	324				
	Grand Total	365				

SCHEDULE-III

(See rule 8)

Age and Qualifications of Persons Recruited Directly

S. No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	At the Headquarter of Sanchalnalaya				
1.	Peon	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi.	-
2	Vehicle Cleaner	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Group Paricharak/ Battery Attendant.	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi.	-
4	Farrash	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi.	-
5	Cane Worker	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi. 3. Experience of Chair Canning	The post shall be filled by Blindness Impairment.
6	Sweeper	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
			At the District Headquarters		
1.	Vehicle Cleaner	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
2	Group Paricharak	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
3	Workshop Assistant	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
4	Aaya	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
5	Sweeper	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
6	Rasoiya	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
7	Watchman	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
8	Peon	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
9	Custodian	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-
10	Unskilled Employee	18	40	Essential 1. 8th Class Passed 2. Sufficient Knowledge of Hindi	-

SCHEDULE-IV
(Please See rule 13)
Posts to be filled by Promotion

S. No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post on Which promotion is to be made	Number of years of service on the post shown in column (2) for promotion to the post shown in column (3) minimum period of qualifying service	Members of Departmental Promotion Committee	Method of Selection	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Daftari	Supervisor	5 years	1. Additional Director—Chairman 2. Joint Director (Administration)—Member. 3. Joint Director (Finance)—Member 4. One nominated from Scheduled Caste/ Scheduled Tribes category who is equivalent to the rank of Deputy Director—Member.	Merit Cum Seniority.	In the absence of Chairman, the Senior Joint Director shall preside over the meeting of committee.
2	Peon/Farrash/ Sweeper.	Daftari	5 years	1.Additional Director—Chairman 2. Joint Director (Administration)—Member. 3. Joint Director (Finance)—Member 4. One nominated from Scheduled Caste/ Scheduled Tribes category who is equivalent to the rank of Deputy Director—Member.	Merit Cum Seniority.	In the absence of Chairman, the Senior Joint Director shall preside over the meeting of committee.
3	Peon/Farrash/ Sweeper.	Jamadar	5 years	1.Additional Director—Chairman 2. Joint Director (Administration)—Member. 3. Joint Director (Finance)—Member 4. One nominated from Scheduled Caste/ Scheduled Tribes category who is equivalent to the rank of Deputy Director—Member.	Merit Cum Seniority.	In the absence of Chairman, the Senior Joint Director shall preside over the meeting of committee.

23. **Repeal.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. K. THAKUR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.